जावक क्रमांक 229
दिनांक 18/4/11

नियमावली

01. सोसायटी का नाम – गृहिणी समिति होगा।

02. सोसायटी का प्रधान कार्यालय –गृहिणी उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र भवन ई.सी.सी.कालोनी एल.एण्ड टी. हिरमी सीमेन्ट संयंत्र,ग्राम व पोस्ट–हिरमी तहसील–सिमगा जिला–रायपुर छ0ग0 होगा।

03. सोसायटी का कार्यक्षेत्र – जिला– रायपुर होगा।

04. संस्था का उददेश्य –

1. ग्रामीण महिलाओ के स्वरोजगार का अवसर बढ़ाना ।,
2. विभिन्न रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान कराना।
3. महिला मण्डलों को गठित एवं सुदृढ़ करना।
4. विभिन्न उद्यमिता विकास कार्यक्रमो का आयोजन ,संचालन एवं संवर्धन करना।
5. शासन के महिला विकास एवं आय से सम्बधित योजनाओ के संचालन मे सहयोग करना।
6. ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक ,सांस्कृतिक एवं राजनैतिक रूप से मजबूत बनाने मे सहयोग करना।
7. महिला एवं बालविकास कार्यकमो के साथ सर्वागीण विकास के कार्यकमो का संचालन करना।
8. हर प्रकार से विकलागता के क्षेत्र मे कार्य करना।
9. सुक्ष्म बीमा के अंतर्गत कार्य करना।
10. शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करना।
11. एच.ई.वी.,यौन जनित रोगो के क्षेत्रो मे कार्य करना ।
12. गरीबी उन्मूलन के क्षेत्रो मे कार्य करना।
13. समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रसारित विभिन्न कार्यकमो के साथ सर्वागीण विकास के कार्यकमो का संचालन करना।
14. जिला अंधत्व निवारण समिति के साथ मिलकर नेत्र शिविरो स्वास्थ्य के कार्यकमो का संचालन करना।
15. स्वास्थ्य से संबधित कार्यकमो जैसे सिकलसेल रोकथाम कार्यकमो का संचालन करना।

05. सदस्यता :– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगें :–

अ. **संरक्षण सदस्य** – संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 1100.00 या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

ब. **आजीवन सदस्य** – जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में 600.00 या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोइ भी आजीवन सदस्य रू. 600.00 या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

स. **साधारण सदस्य** – जो व्यक्ति 21.00 मासिक रू. 24.00 प्रति वर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी माह अवधि के लिए होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है।जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के 6 माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

द. **सम्माननीय सदस्य** – संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकतें है। परंतु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

06. **सदस्यता की प्राप्ति** – प्रत्येक जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप मे आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा। जिसकी आवेदन पत्र को स्वीकार या अमान्य करने का अधिकार होगा।

Lata Srivastava   रमा उपाध्याय   बसंती देवी

07. **सदस्यों की योग्यता** – संस्था का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए –

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. समिति के नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा की हो।
4. सद्‌चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

08. **सदस्यता की समाप्ति** – संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जाएगी

1. मृत्यु हो जाने पर। 2. पागल हो जाने पर।
3. संस्था के देय चनदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।
4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5. चरित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देनी होगी।

09. **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगें :–**

1. प्रत्येक सदस्य का नाम ,पता व व्यवसाय।
2. वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नंबर।
3. वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।
4. सदस्यो का हस्ताक्षर।

10. **अ. साधारण सभा** – साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगें। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह अप्रैल तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमे संस्था के पादाधिकारियों की विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय में नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कम्रचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

ब. प्रबंधकारिणी सभा – प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोर 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी। जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी।

स. विशेष – यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या क 2/3 सदस्यों) द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प परित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध मे आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :–**

1 संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
2. संस्था की स्थायी निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

Lalo Srivastava   रमा उपाध्याय   बसंती देवी

3. आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

4. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

5. संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

12. **प्रबंधकारिणी का गठन** – ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ , ब, स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर मे दर्ज हो बैठक मे बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

1.अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष 3. सचिव **4.** कोषाध्यक्ष **5.**संयुक्त सचिव एवं सदस्य – **02**

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल** – प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टाकारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी। किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य** –

अ. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस अधिकाधिक पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

ब. पिछले वर्ष का आय–व्या का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

स. समिति एवं उसक अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल–अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

द. कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

इ. अन्य आवश्यक कार्य करना , जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जायें

च. संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

छ. संस्था द्वारा कोई भी स्थावर, संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जावेगी।

ज. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत सें संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. **अध्यक्ष के अधिकार** – अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों मे निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार** – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगां।

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकार** –

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

Lata Srivastava रमा उपाध्याय बसंती देवी

2. समिति की आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत, करना।

3. समिति के सारे कागजातोंकी तैयारी करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियंमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणीको देना।

4. सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 500.00 व्यय करने का अधिकार होगा।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार** – सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार** – समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

20. **बैंक खाता** – संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 1000.00 रहेंगें।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** – अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था द्वारा आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारिंत प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय नियम शुल्क के साथ भेजेगी।

22. **संशोधन** – संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित मे उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फमर्स एवं संस्थायें को होगी जो प्रतयेक सदस्य को मान्य होगा। संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय नियम शुल्क सहित प्रस्तुत की जावेगी।

23. **विघटन** – संस्था का विघटन साधारण सभा मे कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रवधानों के अनुसार की जावेगी।

24. **संपत्ति** – संस्था की समस्त चल – अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फमर्स एवं संस्थायें की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा, दना द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी।

25. **बैंक खाता** – संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रकिया जारी रहेगी।

26. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** – संस्था की लिखित नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फमर्स एवं संस्थायें की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

27. **विवाद** – संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगें। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंधक समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

(डी० एल० ध्रुव)
सहायक पंजीयक
फर्मस एवं संस्थाएं, रायपुर संभाग
छत्तीसगढ़

Kala Srivastava   रमा उपाध्याय   बसंती देवी

कार्यालय पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐ छत्तीसगढ़
ओ–5, अनुपम नगर, रायपुर छ0ग0

क्रमांक/4133/1997/ 57 /10 रायपुर, दिनांक 5/4/11

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव
गृहिणी समिति
एल0एन0टी0 हिरमी सीमेन्ट सयंत्र, ग्राम व पोस्ट हिरमी
तहसील–सिमगा जिला–रायपुर (छ0ग0)

विषयः– संस्था के विधान में संशोधन बाबत् ।

संदर्भः– आपका प्रस्ताव प्राप्त दिनांक 18/3/2011 ।

....

संस्था गृहिणी समिति एल0 एन0 टी0 हिरमी सीमेन्ट सयंत्र, ग्राम व पोस्ट हिरमी तहसील–सिमगा जिला–रायपुर छत्तीसगढ पंजीयन क्रमांक 4133 दिनांक 26/06/1997 द्वारा छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 नियम 1998 के अधीन पंजीकृत संस्था है, जिस पर वर्तमान में उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधान प्रभावशील है । उक्त संस्था ने समिति के उद्देश्य परिर्वतन हेतु अधिनियम की धारा 13 के अधीन संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

उक्त संस्था की कार्यकारिणी सभा दिनांक 10/09/2010 आमसभा दिनांक 30/09/2010 एवं विशेष आमसभा 26/11/2010 आयोजित कराकर जिसमें संशोधित शुल्क 200/– रू. का चालान क्रमांक– 14584725 दिनांक 16/03/2011 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिसे परीक्षणोपरान्त अधिनियम की धारा 13 के तहत अनुमोदित कर पंजीबद्ध किया जाता है ।

भविष्य में संशोधित नियमों का दृढ़ता से पालन करना सुनिश्चित करें।

1/4/11

(डी. एल. धुर्वे)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाऐं बस्तर संभाग

सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएं रायपुर संभाग
छत्तीसगढ़

04. सोसायटी के कागजात का प्रबंध, सोसायटी के विनियमों द्वारा गर्वनर, परिषद, संचालकों, समिति या रासी–निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विर्निदिष्ट की गई है :–

क्रं	नाम	पता	उपजीविका
1	श्रीमति रूपा श्रीवास्तव पति श्री विनोद श्रीवास्तव	एल.एण्ड टी. टाउनशिप ,ग्राम व पोस्ट– हिरमी थाना–सुहेला , जिला–रायपुर छ0ग0	सामाजिक कार्यकर्ता
2	श्रीमति बंसतीदेवी वर्मा पति श्री दुखुराम वर्मा	ग्राम – कुथरौद, पोस्ट– हिरमी थाना–सुहेला , जिला–रायपुर छ0ग0	गृहणी
3.	श्रीमति रमा उपाध्याय पति श्री लक्ष्मण उपाध्याय	ग्राम व पोस्ट– हिरमी तहसील–सिमगा , जिला–रायपुर छ0ग0	शिक्षिका
4.	श्रीमति कांति वर्मा पति श्री नारायण वर्मा	ग्राम – परसवानी , पोस्ट– हिरमी थाना–सुहेला , जिला–रायपुर छ0ग0	विकास कार्यकर्ता
5.	श्रीमति ईश्वरी वर्मा पति श्री गणेश वर्मा	ग्राम – सकलोर , पोस्ट– हिरमी थाना–सुहेला , जिला–रायपुर छ0ग0	विकास कार्यकर्ता
6.	श्रीमति रामवती पटेल पति श्री ओमप्रकाश पटेल	ग्राम – कुथरौद, पोस्ट– हिरमी थाना–सुहेला , जिला–रायपुर छ0ग0	स्वास्थ्य कार्यकर्ता
7.	श्रीमति कंचन पटेल पति श्री कैलाश पटेल	ग्राम – कुथरौद, पोस्ट– हिरमी थाना–सुहेला , जिला–रायपुर छ0ग0	गृहणी

5. छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (कमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम का सम्यक रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाईल की गई है। हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे गये हैं, उपरोक्त प्रतिष्ठान ज्ञापन के अनुशरण में सोसायटी बनाने के इच्छुक हैं और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

अनु.	अभिदाताओं के ना	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	श्रीमति रूपा श्रीवास्तव पति श्री विनोद श्रीवास्तव	एल.एण्ड टी. टाउनशिप ,ग्राम व पोस्ट– हिरमी थाना–सुहेला , जिला–रायपुर छ0ग0	सही
2	श्रीमति बंसतीदेवी वर्मा पति श्री दुखुराम वर्मा	ग्राम – कुथरौद, पोस्ट– हिरमी थाना–सुहेला , जिला–रायपुर छ0ग0	सही
3.	श्रीमति रमा उपाध्याय पति श्री लक्ष्मण उपाध्याय	ग्राम व पोस्ट– हिरमी तहसील–सिमगा , जिला–रायपुर छ0ग0	सही
4.	श्रीमति कांति वर्मा पति श्री नारायण वर्मा	ग्राम – परसवानी , पोस्ट– हिरमी थाना–सुहेला , जिला–रायपुर छ0ग0	सही
5.	श्रीमति ईश्वरी वर्मा पति श्री गणेश वर्मा	ग्राम – सकलोर , पोस्ट– हिरमी थाना–सुहेला , जिला–रायपुर छ0ग0	सही
6.	श्रीमति रामवती पटेल पति श्री ओमप्रकाश पटेल	ग्राम – कुथरौद, पोस्ट– हिरमी थाना–सुहेला , जिला–रायपुर छ0ग0	सही
7.	श्रीमति कंचन पटेल पति श्री कैलाश पटेल	ग्राम – कुथरौद, पोस्ट– हिरमी थाना–सुहेला , जिला–रायपुर छ0ग0	सही

(डॉ० एल० ध्रुव)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएं, रायपुर संभाग
छत्तीसगढ़

दिनांक :
स्थान : रायपुर (छ.ग.)
सोसायटियों का रजिस्ट्रार,

– साक्षी –
हस्ताक्षर – सही
नाम – दीनानाथ साहू
पता – ग्राम व पो - हिरमी, थाना - सुहेला, जिला रायपुर

Rupa Srivastava रमा उपाध्याय बसंती देवी

जावक क्रमांक 229
दिनांक 18/4/11

प्रारूप – एक
नियम – 3 देखें
सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसायटी का ज्ञापन

01. सोसायटी का नाम – गृहिणी समिति होगा।

02. सोसायटी का प्रधान कार्यालय – गृहिणी उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र भवन ई.सी.सी.कालोनी एल.एण्ड टी. हिरमी सीमेन्ट संयंत्र,ग्राम व पोस्ट– हिरमी तहसील–सिमगा जिला–रायपुर छ0ग0 होगा।

03. संस्था का उददेश्य

1. ग्रामीण महिलाओ के स्वरोजगार का अवसर बढ़ाना ।,
2. विभिन्न रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान कराना।
3. महिला मण्डलों को गठित एवं सुदृढ़ करना।
4. विभिन्न उद्यमिता विकास कार्यक्रमो का आयोजन ,संचालन एवं संवर्धन करना।
5. शासन के महिला विकास एवं आय से सम्बधित योजनाओ के संचालन मे सहयोग करना।
6. ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक ,सांस्कृतिक एवं राजनैतिक रूप से मजबूत बनाने मे सहयोग करना।
7. महिला एवं बालविकास कार्यक्रमो के साथ सर्वागीण विकास के कार्यक्रमो का संचालन करना।
8. हर प्रकार से विकलांगता के क्षेत्र मे कार्य करना।
9. सुक्ष्म बीमा के अंतर्गत कार्य करना।
10. शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करना।
11. एच.ई.वी.,यौन जनित रोगो के क्षेत्रो मे कार्य करना ।
12. गरीबी उन्मूलन के क्षेत्रो मे कार्य करना।
13. समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमो के साथ सर्वागीण विकास के कार्यक्रमो का संचालन करना।
14. जिला अंधत्व निवारण समिति के साथ मिलकर नेत्र शिविरो स्वास्थ्य के कार्यक्रमो का संचालन करना।
15. स्वास्थ्य से संबधित कार्यक्रमो जैसे सिकलसेल रोकथाम कार्यक्रमो का संचालन करना।

प्रस्तुत करने का दिनांक 18/2/11
पंजीयन क्रमांक 4132
दिनांक 26/6/1998
संशोधन स्वीकृति दिनांक 01.4.11
सहायक पंजीयक

सहायक पंजीयक, रायपुर

Rupa Srivastava   रमा उपाध्याय   बसंती देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

Stamp Cancelled

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

07AA 337462

गृहणी समिति LNT
हिरापुर सीमेन्ट कॉलोनी
सिलगा रायपुर जिला रायपुर
प.क्र. 4133/26/6/1997
सं. 01/04/2011

Stamp filed in support of the copy of Memorandum/Byelaws of ....
...........Regd. No. ....

(डी० एल० ध्रुव) 1/4/11
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएं, रायपुर संभाग
छत्तीसगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Stamp Cancelled

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

07AA 337461

गृहणी समिति LNT
हिरमी सीमेन्ट कालोनी
सिमगा जिला रायपुर
प.क्र. 4133/26/6/1997
सं 01/04/2011

Stamp filed in support of the copy of
Memorandum/Byelaws of...............
...............Regd. No...............

(डी० एल० ध्रुव)
सहायक पंजीयक
फर्मे एवं संस्थाएं, रायपुर संभाग
छत्तीसगढ़

प्रारूप–सात

(नियम 11 देखिये)

रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसाइटी को मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 को धारा 27 के अधीन शासी निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देशन पत्र (प्रोफार्मा). 2010

1	सोसाइटी का पूरा नाम तथा पता	: गृहिणी समिति, L.N.T. हिरमी सीमेन्ट संयंत्र ग्राम व पो. हिरमी तह. सिमगा जि. रायपुर
2	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख	: 4133 - 26.06.1997
3	[redacted] कुल सदस्यों की संख्या, उनके नाम तथा पते संलग्न करें.	: 7 सदस्य
4.	रजिस्ट्रीकृत नियमों तथा विनियमों के अनुसार शासी निकाय की अवधि.	: —
5.	वर्तमान निर्वाचन की तारीख और उपस्थित सदस्य संख्या एवं गणपूर्ति क्या थी.	: 30/9/2010 100%
6.	विद्यमान पदाधिकारियों ने पूर्व पदाधिकारियों से किस तारीख को कार्यभार ग्रहण किया, एक सूची, उनके नाम, पते तथा उपजीविकाएं, उनके हस्ताक्षर सहित संलग्न करें.	: 30/09/2009
7.	पूर्व निर्वाचन की तारीख	: 30/09/2009
8.	सोसाइटी के नियमों तथा विनियम के अनुसार वार्षिक साधारण सम्मिलन का मास तथा तारीख	: 30/09/2010
9.	अंतिम वार्षिक सूची कब प्रस्तुत की गई थी. यदि प्रस्तुत नहीं की गई हो तो उसका क्या कारण है.	: —
10	इस वर्ष के वार्षिक साधारण सम्मेलन के कार्यवृत्त, तारीख सहित संलग्न करें.	: संलग्न है
11.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अधीन सूची की वार्षिक फीस रुपये .... रसीद–चालान क्रमांक .... तारीख .... द्वारा जमा कर दी गई है. चालान की मूल प्रति संलग्न है.	:

(कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं (छत्तीसगढ़) जा. क्र. PB दि 18/3/11)

अध्यक्ष की घोषणा

मैं श्रीमति रूपा श्रीवास्तव .... पुत्र/पत्नि श्री विनोद श्रीवास्तव आयु .... वर्ष प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विशवास से सत्य है और मैं यह जानता हूं कि कोई मिथ्या जानकारी देना अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन दण्डनीय होगा

Rupa Srivastava

(अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

या

(सचिव के हस्ताक्षर)